भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5046

01.04.2025 को उत्तर के लिए नियत

ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

5046. **श्री जुगल किशोर:**
श्री पी.सी. मोहन:
डॉ. के. सुधाकर:
श्री प्रवीण पटेल:
श्री पी. पी. चौधरी:
श्री बिभु प्रसाद तराई:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस योजना के लिए कितना बजटीय आवंटन किया गया है और फरवरी 2025 तक कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) ई-बसों तथा अन्य ईवी के लिए फास्ट-चार्जर स्थापित करने हेतु कितना वित्तीय आवंटन किया गया है;

(ग) कितने प्रोत्साहन दावे प्राप्त हुए हैं तथा इसके लिए कितनी राशि वितरित की गई है;

(घ) क्या फरवरी 2025 तक वृद्धिशील बिक्री हासिल की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ग) : ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (पीएलआई-ऑटो स्कीम) का परिव्यय 25,938 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, चार (4) आवेदकों ने प्रोत्साहन दावे प्रस्तुत किए और इन 4 आवेदकों को 322.01 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं। मंत्रालय द्वारा 09.11.2021 को अधिसूचित उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों की सूची के अनुसार, ई-बसों और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फास्ट चार्जर अनुमोदित एएटी उत्पाद नहीं हैं।

(घ) से (ङ) : पीएलआई-ऑटो स्कीम के तहत आर्थिक प्रोत्साहन निर्धारित बिक्री मूल्य पर लागू होता है जिसे आधार वर्ष (यानी वित्त वर्ष 2019-20) की तुलना में किसी वर्ष विशेष की वृद्धिशील पात्र बिक्री के रूप में परिभाषित किया गया है। फरवरी, 2025 तक वृद्धिशील बिक्री का कोई लक्ष्य नहीं है। 31 दिसंबर, 2024 तक, पीएलआई-ऑटो स्कीम के तहत संचयी निर्धारित बिक्री ₹15,230 करोड़ है।

*****